अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

देवाराम वगैरा बनाम मोहनराम वगैरा

किस्म मुकदमा पत्र नम्बर 122/2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अर्दकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31.03.2021	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । तहसीलदार तिवंरी द्वारा बन्टवारा प्रस्ताव पेश किया जिस पर दोनो पक्षो को सुना गया , पत्रावली व बन्टवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । देवाराम, ताजाराम, गोकलराम, केशाराम पीसरान श्री सालूराम 1/5 मोहनराम पुत्र श्री आईदानराम 1/5, रहन एस.बी.आई. शाखा जेलु गगाडी, अणची पत्नि श्री देवाराम 1/5, जाति जाट साकिन देह, बद्रीराम, श्यामलाल, रेंवतराम, सुखाराम, रूपाराम, जैसाराम पीसरान श्री धन्नाराम, 2/5 जाति दर्जी, साकिन खुडियाला खातेदार रहन अणची का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा जेलू गगाडी, ग्राम गगाडी के खसरा नम्बर 377 रकबा 92 बीघा 17 बीस्वा राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी की वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जिसका दिंनाक 04.01.2021 का बन्टवारा प्रस्ताव अनुसार (1) देवाराम , ताजाराम, गोकलराम, केशाराम पीसरान श्री सालूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार के खसरा नम्बर 377/1 रकबा 18 बीघा 3 बीस्वा 18 बीस्वान्सी, (2) देवाराम, ताजाराम, गोकलराम, केशाराम पीसरान श्री सालूराम 1/5 मोहनराम पुत्र श्री आईदानराम 1/5, रहन एस.बी.आई. शाखा जेलु गगाडी, अणची पत्नि श्री देवाराम 1/5, जाति जाट साकिन देह, बद्रीराम, श्यामलाल, रेंवतराम, सुखाराम, रूपाराम, जैसाराम पीसरान श्री धन्नाराम, 2/5 जाति दर्जी, साकिन खुडियाला खातेदार रहन अणची का हिस्सा एस.बी. आई. शाखा जेलू गगाडी खसरा नम्बर 377/3 रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा 9 बीस्वान्सी बारानी चतुर्थ लगान 00.28 (भारतमाला परियोजनान्तर्गत) निर्माणाधीन सडक मे आवाप्ताधीन (3) मोहनराम पुत्र श्री आईदानराम 1/4, रहन एस.बी.आई. शाखा जेलु गगाडी, अणची पत्नि श्री देवाराम 1/4, जाति जाट साकिन देह, बद्रीराम, श्यामलाल, रेंवतराम, सुखाराम, रूपाराम, जैसाराम पीसरान श्री धन्नाराम, 1/2 जाति दर्जी, साकिन खुडियाला खातेदार रहन अणची का हिस्सा एस.बी.आई. शाखा जेलू गगाडी खसरा नम्बर 377 रकबा 36 बीघा 7 बीस्वा 17 बीस्वान्सी,किस्म बारानी चतुर्थ लगान 5.46 व खसरा नम्बर 377/2 रकबा 36 बीघा 7 बीस्वा 16 बीस्वान्सी बारानी चतुर्थ लगान 5.46 कुल खसरा 2 कुल रकबा 72 बीघा 15 बीस्वा 13 बीस्वान्सी बन्टवारा प्रस्ताव माफिक बन्टवारा स्वीकार किया जाता है। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । दोनो पक्षो को सुनने के बाद ,दोनो पक्षकारान को आपत्ति नही है इसमे वादीगण प्रतिवादीगण के अधिवक्ता भी विभाजन करवाने मे अपनी सहमती व्यक्त करते है । इस प्रकार से दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की सहमती के अनुसार न्यायालय वाद को स्वीकार करके अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित है । आदेश अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सलंग्न बन्टवारा प्रस्ताव माफिक वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा	

सहायक कलेक्टर, औसिया

Scanned with CamScanner

बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की विभाजित भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे बन्टवारा प्रस्ताव निर्णय डिक्री का भाग समझा जावे सम्बन्धित तहसीलदार को तहरीर जारी की जाकर लिखा जावे कि निर्णय की पालना करके माफिक बन्टवारा प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेश मे अमलदरामद करे। पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी, चौमूं

Scanned with CamScanner